न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :–

वाद पत्र संख्या :–

प्रमोद कुमार (RAS)

08/2020

1. रमेशचंद आयु 46 साल आ0 गोपाल लाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. पप्पूलाल आयु 41 साल आ0 गोपाल लाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. सीताराम आयु 37 साल आ0 गोपाल लाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादीगण

बनाम

1. गोपाल लाल आयु 70 साल आ0 धन्नालाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :–

1– वादीगण की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट

2– प्रतिवादी की और से श्री लक्ष्मीशंकर गोचर एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 12.03.2020

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 03.01.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 40 पुराना 39 की कृषि भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 260 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 292 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 314 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 820 रकबा 2.07 है0, खसरा संख्या 849 रकबा 2.47 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.95 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। मूल पुरूष गोपाल लाल है। गोपाल लाल के पुत्र वादी सं. 1 रमेशचंद, वादी सं. 2 पप्पूलाल व वादी सं. 3 सीताराम है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने सें उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तकरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।

3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनांक 06.03.2020 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.03.2020 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 40 पुराना 39 की कृषि भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 260 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 292 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 314 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 820 रकबा 2.07 है0, खसरा संख्या 849 रकबा 2.47 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.95 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – प्रमोद कुमार
आर.ए.एस.

रमेशचंद v/s गोपाल लाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 08/2020

वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री लक्ष्मीशंकर गोचर की उपस्थिति में आज दिनांक 12.03.2020 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 40 पुराना 39 की कृषि भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 260 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 292 रकबा 0.09 है0, खसरा संख्या 314 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 820 रकबा 2.07 है0, खसरा संख्या 849 रकबा 2.47 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.95 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/03/2020 को जारी की गई।

(मोहर)

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner